बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पत्रांक– मु0अ0 (अ0उ0)4515 –01–144/2025 • 682 /पटना, दिनांक– 31.03.2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत समान्य मद में संबंधित कार्य प्रमंडल के अन्तर्गत कुल 02 पथ (पुल सहित) के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले व्यय की राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद के अधीन तालिका में अंकितयोजना के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित कुल राशि 05 करोड़ तक की है, पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाती है:–

Sl No.	Division	Block	Project Id	Road Name/Bridge Name	Length (in Km/ in M)	Cost of Initial Rectification, Minor improvement if required and Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (in lakhs)	Administrative Cost and Contingency Cost [@ 2.25%+1%] (in lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saharsa	Nauhatta	4943413285245	Bridge in L023 Sahpur to Kasimpur-Brahman tola road at Ch.0 880 km	22 260	394.363	4.103	0	12.817	411.283
2			4943413285246	Bridge in L023 Sahpur to Kasimpur Brahman tola road at Ch.3 250 km	38.760	464.569	3.217	0	15.099	482.885
	Total				61.020	858.932	7.32	0	27.916	894.168

2. मांग संख्या–37–मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष –00, लघु शीर्ष –103–सामान्य मद् के लिए योजना, उपशीर्ष –0121– मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (सामान्य मद), विषय शीर्ष–5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड– **37–4515–00–103–0121**, मूल बजट उपबंध–**625** करोड़ रु0 है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक– 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 14 के अनुसार प्राप्त मूल बजटीय उपबंध के तीन गुणा राशि (1875 करोड़ रूपये) में से वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सृजित दायित्व की राशि (1499.75 करोड़ रूपये) घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति दी जानी है। इसके अतिरिक्त लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 02.08.2024 को निर्धारित Bank of Sanction के आगे 1500 करोड़ रूपये की अतिरिक्त छूट दी गई है, जिसके आलोक में कुल उपलब्ध राशि रू0 1875.25 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष मे दी जा सकती है। वर्णित पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/ पुनर्निर्माण एवं कुल सात वर्षो तक संचालन एवं प्रबंधन की कुल राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

3. पथों के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले व्यय का विकलन योजना शीर्ष 4515 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगा।

4. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

5. सारणी में अंकित योजनाओं के निविदा निष्पादनोपरांत कार्य का सम्पादन एवं क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

6. वर्णित योजना से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प सं0–4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं0–1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं0–1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में रूटीन अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर पथों को क्षेत्रीय कार्य प्रमंडलों द्वारा विभागीय MIS पर किये गये प्रविष्टि के आलोक में जो अद्यतन किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है, को ग्रामीण पथ सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य कराया जाना है।

7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

8. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित योजना किसी अन्य योजना से स्वीकृत अथवा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में नहीं हो।

10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं एवं Bidding Documents में निर्धारित नियमो के अनुसार Initial Rectification, Minor Improvement and Strengthening/Widening, Surface Renewal एवं Operation & Management का कार्य स–समय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागीय MIS पर ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

15. सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर योजना के कार्यान्वयन के क्रम में Bidding Documents में निर्धारित निरीक्षण Schedules के अनुसार अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।

16. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल के जिम्मेवारी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

17. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0 (अ0उ0)4515–01–144/2025 के पृ0–07/टि0 पर दिनांक–31.03.2025 को प्राप्त है।

19. सारणी में अंकित योजनाओं के **प्रशासनिक अनुमोदन** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0 (अ0उ0)4515–01–102/2025 के पृ0– 06/टि0 पर दिनांक– 31/03/25 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner